कार्यालय- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर

क्रमांक- स्था०/2023/170 दिनांक- 23.08.2023

-: आदेश :-

(I)

इस न्यायक्षेत्र में पदस्थ निम्न लिपिक ग्रेड- II का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	कहां से	कहां पर	किसके स्थान पर
1.	श्री आकाशदीप वर्मा	फौजदारी लिपिक C.J. & J.M. राजाखेड़ा	लिपिक विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) धौलपुर	श्री दिनेश चंद
2.	श्री दिनेश चंद	लिपिक विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) धौलपुर	फौजदारी लिपिक C.J. & J.M. राजाखेड़ा	श्री आकाशदीप वर्मा
3.	श्री आशिष गर्ग	दीवानी लिपिक C.J. & J.M., बाड़ी	फौजदारी लिपिक A.C.J.M.-1, बाड़ी	श्री रमेश चंद
4.	श्री अंकुर गुप्ता	निरीक्षण लिपिक जिला न्यायालय, धौलपुर	लिपिक विशिष्ट न्यायालय (ड.प्र.क्षे.) धौलपुर	रिक्त पद

(II)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./2023/158 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडी में दीवानी लिपिक के पद पर पदस्थ श्री रमेश चंद का स्थानान्तरण/पदस्थापन न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, बाड़ी में फौजदारी लिपिक के पद पर किया गया था। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विचारोपरान्त पूर्व में किये गये स्थानान्तरण को **निरस्त करते हुए न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडी में दीवानी लिपिक के पद पर वापिस पदस्थापित किया जाता है।**

(III)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./2023/87 दिनांक 12.04.2023 के द्वारा श्री रामदुलारे सिंह, सेवानिवृत कार्मिक को लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर पुर्ननियुक्ति पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर में दीवानी सींगे पर कार्य करने के लिए लगाया गया था। अब इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./2023/168 दिनांक 22.08.2023 के द्वारा उक्त न्यायालय में दीवानी लिपिक के पद पर श्री मोहित शर्मा का पदस्थापन कर दिया गया है। अतः श्री रामदुलारे सिंह, दीवानी सिंगे का समस्त कार्यभार श्री मोहित शर्मा को संभलावें। श्री रामदुलारे सिंह का उक्त न्यायालय में लिपिक ग्रेड-द्वितीय के रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है।

23/8/23

......निरन्तर-2

(IV)

क्रम संख्या-4 के कार्मिक श्री अंकुर गुप्ता को जिला न्यायालय धौलपुर में कार्य करने के लिए आगामी आदेश तक लगाया जाता है साथ ही श्री गुप्ता को आज मध्यान्ह में कार्य मुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति संबंधित न्यायालय में नियमानुसार देवें। श्री गुप्ता के पक्ष में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश बकाया है।

नोट:-

1. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेडा को निर्देशित किया जाता है कि श्री आकाशदीप वर्मा को उनके पद का समस्त कार्यभार उनके स्थान पर पदस्थ किये गये कार्मिक को संभलवावें एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित किये जाने वाले बजट को तैयार कर भिजवाये जाने के उपरान्त उन्हें कार्यमुक्त करें।
2. श्री आकाशदीप वर्मा का स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर किया गया है, अत: उन्हें कोई यात्रा-भत्ता, योगकाल देय नहीं होगा।
3. संबंधित पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह क्रम संख्या-1 के कार्मिक के अलावा अन्य स्थानान्तरित कार्मिकों को अविलम्ब कार्यमुक्त करें।

23/8/23

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर

क्रमांक:- स्था०/2023/2797-2805 दिनांक:-23.08.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. श्रीमान् न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो प्रकरण), धौलपुर
2. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश (ड.प्र.क्षे.), धौलपुर
3. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी (लेखा) धौलपुर/बाड़ी
4. श्रीमान् अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1 बाड़ी
5. श्रीमान् सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर/बाड़ी/राजाखेड़ा
6. सर्वश्री आकाशदीप वर्मा/दिनेशचंद/आशिष गर्ग/रमेश चंद/रामदुलारे सिंह/मोहित शर्मा/अंकुर गुप्ता
7. व्यक्तिगत पत्रावली सर्वश्री आकाशदीप वर्मा/दिनेशचंद/आशिष गर्ग/रमेश चंद/मोहित शर्मा/अंकुर गुप्ता
8. कम्प्यूटर लिपिक जिला न्यायालय, धौलपुर की वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. आदेश/संबंधित पत्रावली

23/8/23

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर